संख्या-806/एक-13-11-20(32)/2011

प्रेषक,

के0के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त,/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4. आायुक्तएवंनिदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद,उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, भारतीय जीवन बीमा निगम, पी0एण्ड जी0एस0 डिपार्टमेंट,सेन्ट्रल आफिस, पंचम तल,"योगक्षेमा" जीवन बीमा मार्ग, मुम्बई,-400021
6. मण्डलीय प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम (पी0एण्ड जी0एस0),30 हजरतगंज, मार्ग, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2011

विषयः-भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित कृषकों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हेतु देय वार्षिकी (Annuity) के भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के **"एल0आई0सी0 ग्रुप फ्लैक्सिबुल इन्कम प्लान"**को मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) के आधार पर अंगीकृत किये जाने एवं उक्त एम0ओ0यू0 को राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य निष्पादित किये जाने आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रभावित कृषकों को लम्बी समयावधि तक वार्षिकी के सहज और समयबद्ध वितरण हेतु एवं सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(क) वार्षिकी भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के **"एल0आई0सी0 ग्रुप फ्लैक्सिबुल इन्कम प्लान** को मेमोरेण्डेम आफ अण्डरस्टैन्डिग (MOU) के आधार पर अंगीकृत किया गया है। उक्त मेमोरेण्डेम आफ अण्डरस्टैन्डिग (MOU) के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है:-

(1) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वार्षिकी के भुगतान हेतु लाभार्थियों की औसत आयु 45 वर्ष मानते हुए वार्षिकी के भुगतान हेतु एकल दर के आधार पर शासन से वांछित धनराशि का भुगतान प्राप्त किया जायेगा।

(2) राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-1307/1-13-10-20 (29)2004 दिनांक 03 सितम्बर,2010 एवं शासनादेश संख्या-632/एक-13-11-20 (29)2004 दिनांक 02-06-2011 के अन्तर्गत वार्षिकी भुगतान/वितरण के कार्य हेतु वांछित धनराशि का एकल दर के आधार पर एकमुश्त भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर

द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत घोषित "एवार्ड" के अधिकतम 03 माह की अवधि में भारतीय जीवन बीमा निगम को सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर से वार्षिकी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान प्राप्त होने के अधिकतम 03 माह के अन्दर लाभार्थी को वार्षिकी का प्रथम भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इलेक्ट्रानिक्स क्लीयरिंग सिस्टम (ECS)/बैंक ट्रांसफर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त प्रत्येक वर्ष वार्षिकी का भुगतान बैंक ट्रांसफर द्वारा नियत तिथि को किया जायेगा। बैंक की कम्प्यूटराइज शाखा उपलब्ध न होने के कारण इ0सी0एस0/बैंक ट्रान्सफर सम्भव न हुआ, तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था/माध्यम से वार्षिकी का भुगतान लाभार्थियों को सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) शासन/जिलाधिकारी/कलेक्टर व्दारा भारतीय जीवन बीमा निगम को न्यूनतम 50 लाभार्थियों के प्रथम प्रीमियम का भुगतान एम0ओ0यू0 निष्पादित होने के 15 दिवस के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। तदुपरान्त भारतीय जीवन बीमा निगम व्दारा शासन को मास्टर पॉलिसी बाण्ड एक सप्ताह के अन्दर निर्गत किया जायेगा।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को योजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण के साथ एक सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा।

(6) लाभार्थी की मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा नामित व्यक्ति/विधिक उत्तराधिकारी को वार्षिकी का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तिथि को सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लाभार्थियों से समस्त पत्राचार/वार्तालाप हिन्दी भाषा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक टोलफ्री नम्बर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें वार्षिकी सम्बन्धी समस्त जानकारी हिन्दी भाषा में लाभार्थी को दी जा सकेगी।

(9) जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों तथा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों से सम्बन्धित विवरण प्रारम्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) लाभार्थी एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिलाधिकारी/कलेक्टर द्वारा निस्तारण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी सर्कुलर नम्बर सी0ओ0/सी0आर0एम0/818/23,दिनांक 21.02.2011 तथा सी0ओ0/सी0आर0एम0/829/23, दिनांक 31.05.2011 में वर्णित ग्रीवान्स रिड्रेसल मशीनरी भी लाभार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपलब्ध होगी,जिसके अन्तर्गत प्रत्येक समस्या का निस्तारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अधिकतम् 15 दिवस के अन्दर किये जाने का प्राविधान है तथा ऐसा न किये जाने की दशा में इन्श्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा दण्ड सम्बन्धी प्राविधान भी हैं।

(11) भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यों का प्रत्येक तिमाही अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अतिरिक्त औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग तथा न्याय विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। उक्त समिति के संयोजक सदस्य प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग

होंगे तथा समिति को भारतीय जीवन निगम द्वारा आवश्यक सूचनायें इत्यादि उपलब्ध करायी जायेगीं।

(12)लाभार्थियों को भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम व्दारा इन्श्योरेन्स रेगुलेटरी डेवलपमेन्ट अथारिटी व्दारा निर्धारित दरों पर दण्ड ब्याज का भुगतान किया जायेगा, जो कि वर्तमान में 8 प्रतिशत है।

(13)शासन तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटारा हेतु जनपद–लखनऊ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(14) भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एम0ओ0यू0 तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा तथा इस अवधि में शासन/शासकीय संस्थाओं व्दारा अधिग्रहीत समस्त भूमि के प्रभावित कृषकों को वार्षिकी का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम व्दारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यदि शासन चाहे तो दिनांक 03–09–2010 से एम0ओ0यू0 होने की तिथि तक अधिग्रहीत भूमि के प्रभावित कृषकों को वार्षिकी का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम से करा सकेगी।

(16) वार्षिकी की दरों में शासन व्दारा संशोधन किये जाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम व्दारा दरों में तद्नुसार समानुपातिक परिवर्तन किया जायेगा।

(17) भारतीय जीवन बीमा निगम एवं शासन उक्त एम0ओ0यू0 03 माह की नोटिस के उपरान्त निरस्त कर सकेंगे। जिन वार्षिकी का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ होगा उस हेतु प्राप्त धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम व्दारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को लौटा दी जायेगी। जिन वार्षिकी का भुगतान प्रारम्भ हो चुका होगा, उन वार्षिकी धनराशियों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम व्दारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को वार्षिकी की शेष अवधि के लिए किया जाता रहेगा। यदि कतिपय कारणों से भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा व्यवसाय करने हेतु अयोग्य घोषित कर दी जाती है, तो ऐसी दशा में शासन को अवशेष वार्षिकी/एकमुश्त धनराशि के एवज में देय समुचित धनराशि का निर्धारण एवं प्रक्रिया इरडा व्दारा सुनिश्चित की जायेगी। ऐसी स्थितियों में प्रभावित कृषकों को वार्षिकी का भुगतान जारी रखने हेतु शासन व्दारा समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(ख) उक्त "मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिग (एम0ओ0यू0)" को श्री राज्यपाल एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य निष्पादित किया जायेगा, जिसमें श्री राज्यपाल की ओर से एम0ओ0यू0 निष्पादित करने हेतु अधिकृत अधिकारी–प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन होंगे।

(ग)उक्त मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिग (एम0ओ0यू0) में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा समय विस्तार (Extension) मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोंपरान्त किया जायेगा।

(घ) शासन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य होने वाले प्रस्तावित एम0ओ0यू0 आदि सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में समस्त अग्रेतर कार्यवाहियाँ राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व्दारा सम्पादित की जायेंगी तथा शासनादेश दिनांक 03–09–2010 एवं 02–06–2011(यथासंशोधित) के अन्तर्गत देय वार्षिकी भुगतान व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन हेतु राजस्व विभाग, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग और सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर उत्तरदायी होंगे जो भारतीय जीवन बीमा निगम से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे।

(ङ.) भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूस्वामियों/परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अन्तर्गत देय वार्षिकी भुगतान की दरों में संशोधन होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत संशोधित "क्वोट"(Quote) पर अनुमोदन हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी प्राधिकृत होंगे।

(च) उक्त मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिंग (एम0ओ0यू0) के प्रमुख बिन्दुओं से सम्बन्धित उपर्युक्त प्रस्तर–(क) के उप प्रस्तर–(1) में उल्लिखित अंश 'शासन से वांछित धनराशि' तथा उप प्रस्तर–(4) में उल्लिखित अंश 'शासन' के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व अनुभाग–13 के शासनादेश दिनांक 02 जून, 2011 के प्रस्तर–1 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में कियान्वित की जाने वाली अवस्थापना परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि से सम्बन्धित मामलों में ही वार्षिकी की धनराशि शासन/अर्जन निकाय द्वारा दी जायेगी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 तथा प्रस्तर–3 में इंगित भूमि अधिग्रहण के मामलों में वार्षिकी की धनराशि सम्बन्धित प्राधिकरण/ उपक्रम तथा कम्पनी द्वारा दी जायेगी।

भवदीय,

(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–206 (1)/एक–13–11–तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–स्टाफ आफीसर,मा0 मंत्रिमण्डलीय सचिव/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2–प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर,लखनऊ।
3–समस्त प्रबन्ध निदेशक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं समस्त उपाध्यक्ष, आवास विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4–आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
5–प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कानपुर।
6–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विष्णु प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।